

क्रमांक 9/10/88-5पोल
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
(राजनैतिक शाखा)

दिनांक, चण्डीगढ़ 19 अक्टूबर, 2020

सेवा में

1. आयुक्त, अम्बाला / हिसार / गुडगांव / रोहतक / फरीदाबाद / करनाल मण्डल ।
2. हरियाणा के सभी उपायुक्त ।

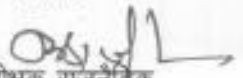
विषय:- दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 को " संयुक्त राष्ट्र का ध्वज फहराए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी 24 अक्टूबर, 2020 को " संयुक्त राष्ट्र दिवस" आयोजित करने का निर्णय लिया गया है । इस सम्बन्ध में कृपया निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जायें :-

- क) जहां तक सम्भव हो, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सामूहिक रूप से कार्यक्रम निर्धारित किया जाए ।
 - ख) जिला मुख्यालयों में स्थित सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ-2 संयुक्त राष्ट्र का ध्वज भी फहराया जाये । सामान्य राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम दाईं ओर होता है अर्थात् झंडा फहराने के समय झंडे की ओर मुख किए हुए व्यक्ति के एकदम बाईं ओर ।
 - ग) सामाजिक समारोह, सामूहिक बैठकें, विचार गोष्ठियां, पोस्टर प्रतियोगिताएं, निबन्ध प्रतियोगिताएं, भाषण तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्तव्यों पर वार्तालाप इत्यादि का आयोजन कोविड-19 (महामारी) के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुये किया जाए ।
 - घ) विशेष चित्र, पोस्टर / इस्तिहार और अन्य साहित्य सामग्री निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग से सीधे प्राप्त कर ली जायें ।
2. इस अवसर पर यदि कोई खर्च करना पड़े तो उसे आप अपने कार्यालय के फुटकर अनुदान से करें ।
 3. 'संयुक्त राष्ट्र दिवस' समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण दिनांक 15.11.2020 तक निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा तथा राज्य सरकार (राजनैतिक शाखा में) को भेज दें ।

भवदीय,


अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

दिनांक चण्डीगढ़ 19 अक्टूबर, 2020.

क्रमांक 9/10/88-5पोल

एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।


अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

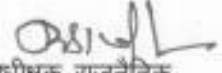
दिनांक चण्डीगढ़ 19 अक्टूबर, 2020.

पृ० क्रमांक 9/10/88-5पोल

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा चण्डीगढ़ ।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा चण्डीगढ़ ।

4. यदि इशतिहार/पोस्टर इत्यादि की आवश्यकता हो तो इस सम्बन्ध में निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग हरियाणा से सम्पर्क करें।

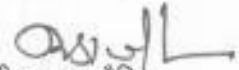

अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पू० क्रमांक 9/10/88-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 19 अक्तूबर, 2020.

एक प्रति राज्यपाल, हरियाणा के सचिव/सचिव, हरियाणा विधान सभा/रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचनार्थ भेजी जाती है। उनसे अनुरोध है कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 'संयुक्त राष्ट्र दिवस' दिनांक 24.10.2020 को राजमवन की इमारत पर यू०एन०ओ० ध्वज न फहराया जाए।


अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पू० क्रमांक 9/10/88-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 19 अक्तूबर, 2020

एक प्रति निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है, कि यह समुचित संख्या में विशेष चल-चित्र, पोस्टर और आवश्यक साहित्य सामग्री संयुक्त राष्ट्र वार्ता केन्द्र, नई दिल्ली से मंगवा लें और सभी सम्बन्धित अधिकारियों को तुरन्त भेज दें। यदि इशतिहार आदि की कमी अनुभव हो तो उन्हें छपवाने का प्रबन्ध नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री से करवा लिया जाए।

इस मामले में अपनी संयुक्त रिपोर्ट (दोहरी प्रति) राजनैतिक विभाग को भेज दी जाए।


अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।